न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 169/2022

1. लीलूराम पुत्र रतीराम जाति नायक निवासी चक 10 एसडीपी तहः सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

.....प्रार्थी

1 तुलछाराम पुत्र गोमन्दराम जाति जाट निवासी चिताणा तहः नोखा बीकानेर

2 राजस्थान राज्य जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला

.... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट

–: आदेश :– दिनांक :– 12.06.23

प्रार्थना पत्र का सार इस तरह से है कि प्रार्थी के नाम चक 23 केजेडी का मु0नं0 5/1 के किला नं0 1 ता 25 में कुल 6.3099 है0 क0/अ0क0 खातेदारी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है जिसमें प्रार्थी अपनी ढ़ाणी बनाकर अपने परिवार सहित मय पशुधन निवास करता है। प्रार्थी को अपनी उक्त कृषि भूमि में आने–जाने व कृषि भूमि में काश्त करने के लिए ट्रैक्टर आदि साधन लाने के लिए कोई कटानशुदा रास्ता उपलब्ध नहीं है। अप्रार्थी सं0 1 के नाम से चक 23 केजेडी का मु0नं0 5/9 के किला नं0 1 ता 10, 13 ता 16, 25 में कुल 3.7935 है0 कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि है तथा अप्रार्थी सं0 1 के मुरब्बा 5/9 के किला नं0 1 में वर्षो से चालू रास्ता है जिसका उपयोग व उपभोग प्रार्थी करता आ रहा है तथा मुरब्बा नं0 4/16 के किला नं0 21/1, 22/1, 23/2, 24/2, 25/1 प्रत्येक में 2–2 बिस्वा कुल 10.00 बिस्वा रास्ता कटानशुदा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। मु0नं0 4/16 में कटानशुदा रास्ता जो अप्रार्थी सं0 1 की भूमि मुरब्बा नं0 5/9 के किला नं0 1 के टच है तथा जो वर्तमान में चालू है जो प्रार्थी की भूमि में प्रवेश करने के लि प्रार्थी के मुरब्बा नं0 5/1 के किला नं0 5 के टच होता है। प्रार्थी ने चक 23 केजेडी के मु0नं0 5/9 के किला नं0 1 में 20 फीट लम्बा व 16 फीट चौड़ा यानि 0.00297 हैक्टेयर रास्ता पश्चित दिशा की ओर मन्जूर कर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाने का आदेश करने का निवेदन किया है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर होने के बाद अप्रार्थी को डाक द्वारा नोटिस भिजवाने के बावजूद हाजिर नहीं आने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तहसीलदार खाजूवाला रिपोर्ट 722 दिनांक 05.06.23 अनुसार चक 23 केजेडी के मु0नं0 4/8 के किला नं0 5/1, 14/1, 15, 16, 17/1, 18/1, 23, 24, 25 की 1.7451 कानीदेवी पति सुगनाराम हिस्सा 1/3 व मदनलाल पुत्र सुगनाराम हिस्सा 2/3 जाति जाट साकिन चिताना तहः नोखा खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। मु0नं0 4/8 किला नं0 25 मौके पर खाली राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में स्थगन का अंकन नहीं है। बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि मु0नं0 5/9 के किला नं0 1 में रास्ता मंजूर का आदेश फरमाया जावे।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात, तहसीलदार खाजूवाला रिपोर्ट के अवलोकन, अध्ययन व बहस पर मनन किया गया। अदालत का यह फैसला है कि काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत प्रहत शक्तियों का इस्तेमाल करते हुवे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अतः चक 23 केजेडी के मु0नं0 5/9 के किला नं0 1 में 20 फीट लम्बा व 16 फीट चौड़ा यानि 0.00297 हैक्टेयर गैरमुमकिन रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकॉर्ड में नियमानुसार अंकन के आदेश तहसीलदार खाजूवाला को किये जाते है। तहसीलदार राजस्व, खाजूवाला उक्त रास्ता भूमि की डीएलसी से दुगुनी राशि प्रार्थी से नियमानुसार जमा करवाकर इस रास्ता के रकबे को गैर मुमकिन रास्ता के तौर पर नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करें। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला आदेश की पालना सुनिश्चित करें पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक .... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)